

निगा 6-4888/2018/भू.श.0
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट-कोर्ट रीवा

जिला-रीवा (म0प्र0)



सरोज उर्फ कुन्दन सोनी पुत्री स्व0 सोन्नेलाल पत्नी स्व0 सियाराम सोनी, उम्र 56 वर्ष, पेशा जातिय व्यवसाय, निवासी नया भा0जा0पा0 कार्यालय के सामने आदर्श ज्वेलर्स डेकहा तिराहा रीव, थाना सिविल लाईन, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) -----निगरानीकर्ता

बनाम्

- 1- बलराम प्रकाश सोनी, उम्र 36 वर्ष,
 - 2- बृजेश नाथ सोनी, उम्र 34 वर्ष,
 - 3- ज्ञानेन्द्र सोनी, उम्र 23 वर्ष,
 - 4- शुभम सोनी, उम्र 22 वर्ष,
 - 5- गंगा प्रसाद सोनी तनय स्व0 सोन्ने लाल सोनी, निवासी डेकहा तिराहा वार्ड कमांक 03, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0
- सभी के पिता गंगा प्रसाद सोनी

-----गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) के नामांतरण प्रकरण कमांक 555/अ-6/2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18/12/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959ई0

मान्यवर,

अन्य के अलावा निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत किया जा रहा है:-

संक्षिप्त तथ्य

- 1- यह कि विषयांकित आराजी खसरा नं0 184 रकवा 0.028हे0 स्थित मौजा डेकहा 250 पटवारी हल्का डेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा की भूमि व उस पर बने मकान के सहखातेदार सोन्नेलाल एवं रामकुमार सोनी दोनों के पिता गया प्रसाद सोनी थे सहखातेदार रामकुमार सोनी ने अपने हिस्से के आधे भाग यानि 750 वर्गफिट भूमि आराजी खसरा नं0 184 में के का विक्रय एक अर्सा पूर्व अमरचन्द्र सर्राफा पिता स्व0 आनन्द सर्राफ को कर

1 सरोज उर्फ कुन्दन सोनी

शासन म0प्र0

श्रीमान् श्री सत्यदेव पाठक
द्वारा पेशा / 6-8-18

सर्किट आफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म0प्र0 खासियत
(सर्किट कोर्ट) रीवा



209

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 4888 / 2018 / रीवा / भू-रा0

जिला-रीवा

सरोज सोनी / बलराम प्रकाश

(1)	(2)
19.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सत्यदेव पाठक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 555/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 18.12.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>